



# जवाब दो!!!सरकार...

www.jawabdosarkar.com

रेफरेंस संख्या –2020/rtiexpose/02 E-Newsletter, Issued in Public Interest

रविवार 15 मार्च 2020



अग्निशमन और पुलिस के जिम्मेदार अधिकारियों का कारनामा!!!

ट्रांसफार्मर से लगी हुई दूकान को नियमविरुद्ध पटाखा लाईसेंस जारी किया।

**Exclusive Report** 



लाईसेंसी श्री कल्याण साहू प्लाट न. 4 गणेश नगर,न्यू सांगानेर रोड सोडाला जयपुर को दिया गया अस्थायी पटाखा लाईसेंस,इस दूकान के पास स्थित ट्रांसफार्मर,जो किसी जिम्मेदार को नहीं दिखा।

#### नियमों के अनुसार पटाखा शॉप के 15 मीटर के अंदर नहीं होना चाहिए ज्वलनशील/विस्फोटक या खतरनाक पदार्थों का भण्डारण/स्थल

पटाखा शॉप का अस्थायी लाईसेंस क्षेत्र के सहायक पुलिस उपायुक्त द्वारा दिया जाता है|इस लाईसेंस की शर्तों के अनुसार प्रस्तावित पटाखा शॉप के उपर किसी का रहवास नहीं होना चाहिए,प्रस्तावित पटाखा शॉप के 15 मीटर के अंदर ज्वलनशील/विस्फोटक या खतरनाक पदार्थों का भण्डारण/स्थल नहीं होनी चाहिए|जिसके तहत बिजली के ट्रांसफार्मर,पेट्रोल पम्प,रेस्टोरेंट/होटल/लकड़ी का गोदाम इत्यादि आते है|

## लाईसेंसी श्री कल्याण साहू को प्लाट न. 4 गणेश नगर,न्यू सांगानेर रोड सोडाला जयपुर पर दिया अस्थायी पटाखा लाईसेंस,इस दूकान के पास स्थित ट्रांसफार्मर,जो किसी जिम्मेदार को नहीं दिखा।

वित्तीय वर्ष 2019-20 में ऐसी ही एक लाईसेंसी श्री कल्याण साहू को प्लाट न. 4,गणेश नगर,न्यू सांगानेर रोड,सोडाला को अस्थायी पटाखा शॉप का लाईसेंस दिया गया जिसके बिलकुल नजदीक ही बिजली का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है|लाईसेंस जारी करने से पहले बाकायदा अग्निशमन और पुलिस विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों के द्वारा प्रस्तावित पटाखा दूकान का मौक़ा मुआयना किया जाता है|पटाखा शॉप के लिए निर्धारित मानदंडों की पूर्ति के बाद ही लाईसेंस जारी किया जाता है|परन्तु इस दूकान को लाईसेंस जारी करने में सभी नियम कायदों को ताक पर रख दिया गया और मौक़ा निरिक्षण करते समय जिम्मेदारों द्वारा रिश्वत की मोटी रकम के लालच में अपनी आँखे मूंद ली गयी|


#### मुख्य अग्निशमन अधिकारी श्री जगदीश प्रसाद फुलवारी को शिकायत पर कोई कार्यवाही नहीं।

स्थानीय व्यक्तियों द्वारा इस मामले की जानकारी देने पर हमारे द्वारा इस मामले को मुख्य अग्निशमन अधिकारी श्री जगदीश प्रसाद फुलवारी के संज्ञान में लाया गया जिस पर उनके द्वारा मामले की जांच कर कार्यवाही करने का आश्वासन दिया,परन्तु ढाक के तीन पात;इस दूकान के विरुद्ध कोई कार्यवाही नही की गयी और दुकानदार ने जिम्मेदार अधिकारियों को भेंट-पूजा कर अपनी दिवाली मना ली

#### सुचना के अधिकार के तहत महेश नगर थाने ने मना किया कि उसके थानाक्षेत्र में कोई अस्थायी पटाखा लाईसेंस जारी नही

किया गया|आखिर क्यों छुपा रहे थे तथ्य?

इस मामले में अधिक जानकारी के लिए अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त( दक्षिण) से इनके अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी थानाक्षेत्रों में इस वर्ष दिए गये अस्थायी पटाखा दुकानों की जानकारी चाही गयी|इस सुचना आवेदन के सम्बन्ध में सोडाला,अशोकनगर, विधायकपुरी,शिप्रापथ, मानसरोवर,ज्योतिनगर, शिवदासपुरा, चाकसू थानों ने अपने क्षेत्र में दिए गये लाईसेंसों की जानकारी उपलब्ध करवा दी गयी परन्तु पुलिस थाना श्यामनगर,कोटाखावदा,महेशनगर,मुहाना सांगानेर द्वारा कोई सुचना नहीं दी गयी|इस सम्बन्ध में जब प्रथम अपीलीय अधिकारी को प्रथम अपील दायर की गयी तब भी महेश नगर थाने के जिम्मेदार अधिकारी द्वारा हठधर्मिता दिखाते हुए जवाब दिया कि उनके क्षेत्र में कोई अस्थायी पटाखा दुकान वर्ष 2019 में संचालित नहीं की गयी|



E.Co. 1	निश्चिम रिपोर्ट	त्रिया न विद्वविष्ट्रिणाय ।रना
d.		. चाही गई सूचना
1.	आवेदक का भाग, पिता का नाम, उम्र य पूर्ण पता-	1
2.	आवेदक के व्यवसाय तथा आपराधिक स्थिति के सबंध में	माल्याम आइ डि वानुसार आह
	ं नष्ट उल्लेख करे।	सी जित देशवसाय / पुलिस से स
3.	भन्तावित सथा । का विकास कर्न क	
	प्रस्तावित स्था का विवरण जहां विस्कोटक आतिराबाजी का अनुद्वागत्र था। है उसका सम्पूर्ण व स्पष्ट उस्लेख करे।	क्रियन
4.	प्रस्तावित एयल जिस मार्ग, यती, थाजार में स्थित है उसकी	ちょん
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
-		100 412
5.	10 1905 PPINTER	
		4+ की
6.	प्रस्तावित स्थल देसमेंट(तहखाना)/मू-तत/उपर की मंजिल, किस स्थान पर रिथत है के वार्ट में	
	किस स्थान पर रिथत है के बारे में स्पष्ट टियापी अंकित	
	करे।	भ तल
7.	प्रस्तितित स्थान पन वर्ष	
	प्रस्तावित स्थल गर आवेदक का स्व मित्व है अधवा नहीं ?	(d, 21 4) 4E
8.	The state of the s	
-	अस्तावत स्थल का सक्त क्रोक्किक किन्त	d E =
	did of the the statement of the	
_	3 c sindi 101 : tac dende 201	/
6.	प्रस्तावित स्थल फायर हजाई /हेरिक एउटर पर करन	
	नार्या की पृष्टि से जीवत है अधवः नहीं ? शिक्का संक्रिय	3010 8
	40.1	ع با الله
16.	जिला प्राप्त के 15 मार्ट्य गत वालेंद्र व	TAXIC
	ज्वलनशील पदार्थ/विस्फोटक या खतरनाक पदार्थ के	04/12
	भण्डारण रथल / दुकान है अथवा नहीं ? टिप्पणी अंकित करें।	
11.	प्रस्तादित स्थल का कोई नाग मीडियों के नीचे हे अथवा नहीं	
	पर राज्य के तर है। जा माडिया के मीच है अथवा नहीं	12, 2
1	एवं स्थाल को जवर रिहायसी(मानव निवास) भवन स्थित है ?	-18.5
12	रपट रिपोर्ट करे।(स्थल के उपर मानव मिलस कवाँचे न हो)	
	प्रस्तावित, दुकान का क्षेत्रफल कम भी कम 9 धर्म मीटर व	_
!	अधिकतम 25 वर्ग मीटर है अथवा गड़ी ? वैशकल के बारे में स्पन्न रिपोर्ट करें।	15×12
12	स्पट स्पाट करा	
13.	प्रस्तावित दुकान पर फायर तिगंड वाहन पहुंचने का रास्ता है	212-11 8
- 1	अथवा नहीं? स्पष्ट रिपोर्ट करें।	K1271 S
14.	प्रस्तावित युकान में बिजली की फिटिंग कन्ट्यूट पाईप अथवा	-12-1
- 1	प्लास्टर के अन्दर है अध्या नहीं ? स्पष्ट विधीर करें।	अधित है
15.	प्रस्तावित स्थल पर विस्कोटक सामग्री का पर्व में अनुजायन	पूर्व में जारी
- 1	जारा हुआ है तो जसका तिवरण—	3, 1,-11(
16.	यदि स्थल पर पूर्व में विस्फोटक सामग्री के लिए अनुष्ठा वन्न	प्रतिमसे कार्यक
1	जारी हुआ है तो कारोबार के संबंध में आवेदक के विरूध	Colonella Maleralla
i	कोई प्रकरण विचाराधीन है अथवा नहीं ? तथा आवेदक को	
1	पर्व में उरियम के जर्म किया करते हैं।	
5	पूर्व में दिष्डित तो नहीं किया गया है।	
-	प्रस्तावित स्थत की सुरक्षा व्यवस्था के खरूच में टिप्पणी -	3/4/8/
8.	अन्य कोई शिष उल्लेखनीय बिन्दु हो तो उल्लेख किया।	~~~
-13	जाव। —	1
9.	वेन्फोटक अभिनियम, 1804 की धारा 6 में येणित अपयन्त्री के र	हतंआचेटक की प्राचन न
2.1	despice indi and an end bear as the second	
3	गतिशबादी(आवेदन में वर्णित मात्रा) ता स्मार्ट अनुसाम	वित्र वित्र वित्र पर
77	गाने के संबंध में निकार्यक्ष	क्य जान अथवा नहां किये
14	गातिश्रवाणी(आवेदन में वर्णित मात्रा) का स्याई अनुकाषक जारी । गाने के संबंध में निष्कर्णिया कारी विकास के स्थाई अनुकाषक जारी । गरमे अन्यारी	शास भन्दिल भिना यनावनादकार
eil	जीवाजरा र सराह्म	
	אווים לו אווים לו אוים לו אוים לו אוים לעור	सहा , ह पृतित्त आयुवत
	c/v 0 1410	न
	नागार दे ए वितन्द्र कुमार म	ारी -
	Courted Silver	
-	and affected affected 311. 15	चार .
1	वृद्धां अधिकारि विकास अगार कर्मामा, आरा	ids
		गुर
	निकारी जिल्ला साम्या अस्ति । जारा	A.

हो सकता था भीषण हादसा, दिवाली
पर बिजली के ट्रांसफार्मर पर लोड
बढ़ने से ट्रांसफार्मरों के जलने की
घटनाओं में बढ़ोतरी

#### दूकान में रहता है कई किलो विस्फोटक

विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों का दायित्व समस्त नियमों की पूर्ति के बाद ही किसी को लाइसेंस जारी करना है|पटाखा शॉप जैसे अति संवेदनशील मामले में जेब गरम करने पर आखों पर पट्टी बाँधना भ्रष्टाचार के साथ साथ सैंकड़ों मासूमों की जान से खिलवाड़ भी है|एक सामान्य सी पटाखा शॉप में भी 500 किलो से भी ज्यादा विस्फोटक भरा रहता है( जिसकी कभी चेकिंग नहीं की जाती) इतना ही नही यह पटाखा दुकान शहर की व्यस्तम सडक पर स्थित है जहाँ पर दिवाली जैसे बड़े त्यौहार पर सडक पर यातायात चार गुना हो जाता है|साथ ही यदि इसके पास ट्रांसफार्मर हो तो यहाँ पर दुर्घटना/हादसों का अंदेशा दस गुना हो जाता है|भगवान् ना करे कोई हादसा हो जाए तो हताहतों की संख्या भी सैकड़ों पार हो सकती है|परन्तु विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों को इन बातों से कोई सरोकार नहीं है| उनका उद्देश्य केवल और केवल जांच के नाम पर/NOC के नाम पर पैसे एंठना है,जिसमे वह पटाखा व्यापारियों के निजी लालच के कारण कामयाब भी हो जाते है|

⊾ अग्निशमन विभाग की अनुशंसा पर जारी किया लाईसेंस

गौरतलब है कि पुलिस विभाग द्वारा अग्निशमन विभाग की अनुशंसा पर ही पटाखा शॉप का लाईसेंस जारी किया जाता है और इस दूकान की मौक़ा निरिक्षण रिपोर्ट पर फायर ऑफिसर श्री देवेन्द्र मीणा के साथ साथ मुख्य अग्निशमन अधिकारी श्री जगदीश फुलवारी के भी हस्ताक्षर है|जिससे पता चलता है कि यहाँ तो पूरे कुँए में ही भांग पड़ी हुई है|

#### वर्ष 2017 में भी दिया गया लाईसेंस

इतना ही नही इस दूकान को वर्ष 2017 में भी पटाखा शॉप हेतु अस्थायी लाईसेंस जारी किया गया है|जिससे पता चलता है कि जिम्मेदार अधिकारी कैसे सालों से आँख मूंदकर काम कर,हजारों मासूमों की जान से खिलवाड़ करते है?

#### ऐसे एक नहीं सैंकड़ों मामले,पैसो के बदले फायर NOC की रेवड़ियाँ बांटने का बनाया धंधा

आपको बता दें कि ऐसे एक नहीं कई मामले सामने आये है जिसमे अग्निशमन के जिम्मेदार अधिकारी अपने पद का दुरूपयोग करते नजर आये है|उन्होंने फायर NOC को पैसा कमाने की मशीन बना लिया है|यदि अस्थायी पटाखा शॉप को ही लाईसेंस देने की बात करें तो पूरे शहर में हजार से अधिक दुकानों को हर वर्ष लाइसेंस दिए जाते है,इस लाईसेंस के लिए जहाँ पर सरकारी फीस मात्र 500 रूपये है वही घूस की फीस 25 हजार से 2 लाख रूपये के बीच है जो कि दूकान की लोकेशन और कागजी खानापूर्ति में कमी पर निर्भर करती है|इसके







ारकोटे के डंदिरा बाजार में हादसा

### 10 दुकानें खाक कर गई एक पटाखे की चिंगारी

कई किनोमीटर दूर तक दिखे आसमान में फूटते पटाखे और धुएं का गुबार, 5 घंटे में पा सके काबू, 10 दुकानों में भारी नुकसान, हर किसी की जुबान पर एक ही सवान था कि ऐसे बाजार में पटाखे की दुकान <mark>क्यों...</mark>



अलावा साहबों के घर के लिए पटाखे अलग से लिए जाते है,जो की भ्रष्टाचार में नहीं होकर शिष्टाचार की श्रेणी में आता है|

#### हाल ही में लगी थी इंदिरा बाजार में स्थित पटाखे की दुकान में आग

गत माह इसी तरह का हादसा जयपुर के इंदिरा बाजार में हो चूका है जिसमे 10 दुकाने जल कर ख़ाक हो गयी और करीब 5 करोड़ का नुकसान हुआ था,इस हादसे ने अग्निशमन विभाग की कलई खोल कर रख दी थी|यदि भ्रष्ट और लापरवाह अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गयी तो रोज ऐसे हादसे होते रहेंगे और हम तमाशा देखते हुए सिस्टम को कोसते रहेंगे|

